न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 64/2019

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
1 जेठाराम 2 चुनाराम 3 नरसिंगाराम पिसरान पोकरराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (भाड़खा) तहसील बाडमेर 4 दरियादेवी पुत्री पोकरराम पत्नी सांवताराम जाति कुम्हार निवासी गुंगा तहसील शिव जिला बाडमेर।		1 पोकरराम 2 करनाराम 3 हरखाराम पिसरान सुजाराम 4 कुटली पत्नी सुजाराम जाति कुम्हार निवासी भाड़खा पुरोहितान (भाड़खा) तहसील व जिला बाडमेर 5 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी वकील प्रतिवादी संख्या 01।

निर्णय

दिनांक 28.11

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 स्वर्गीय सुजाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 204/93 रकबा 09.05 बीघा व खसरा संख्या 215/97 रकबा 09.03 बीघा कुल रकबा 15.08 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 695/441 रकबा 10.18 बीघा व खसरा संख्या 703/445 रकबा 32.03 बीघा कुल रकबा 43.01 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का कब्जा काश्त है। सुजाराम की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि सुजाराम के विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 पोकरराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/20–1/20 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है। उक्त खसरान की भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा नीहित होने के कारण वादीगण प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 पोकरराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 पोकरराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 204/93 रकबा 09.05 बीघा व खसरा संख्या 215/97 रकबा 09.03 बीघा कुल रकबा 15.08 बीघा तथा मौजा भाड़खा पुरोहितान पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 695/441 रकबा 10.18 बीघा व खसरा संख्या 703/445 रकबा 32.03 बीघा कुल रकबा 43.01 बीघा भूमि में वादीगण को प्रतिवादी पोकरराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी पोकरराम प्रत्येक का 1/20–1/20 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** शेष खाता बदस्तूर रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.8.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2019.08.23 14:55:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: